

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

पत्रांक-०६/स्पीड गवर्नर-०५/२०१८

पटना, दिनांक-

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं०-२९० (अ) दिनांक-१५.०४.२०१५, अधिसूचना सं०-४२४ (अ) दिनांक-०१.०५.२०१७ द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं AIS-०१८/२००१, AIS-०३७/२००४, AIS-००४/१९९९ भाग (३) के अनुरूप प्रकाशित गजट तथा विभागीय परिपत्र सं०-३०२०, दिनांक-०८.०६.२०१७ के आलोक में कंडिका-१ से ९ तक में वर्णित शर्तों के अधीन गति नियंत्रक विनिर्माता कम्पनी Avantika Elcon Pvt. Ltd. के निम्नांकित SLD मॉडल/वैरियन्ट को परिवहन यानों में लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	SLD मॉडल/टाईप	टी०ए०सी० नं०/दिनांक	COP वैधता	कुल वैरियन्ट की संख्या
१.	AELCON-SG01A (Fuel Controlled Type)	CH 5204/03.08.2017	30.09.2019	60

- विनिर्माता कंपनी द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली १९८९ के नियम १२६ द्वारा निर्धारित Type Approval Certificate एवं नियम ११८ के अनुरूप समय-समय पर यथा सशोधित नियमों का पालन किया जायेगा।
- यह अनुमति भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किए गए आदेश से प्रभावित हो सकेगी।
- विनिर्माता/वेन्डर द्वारा समर्पित किए गए वैरियन्ट/मॉडल के वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अन्तर का सुधार परिवहन विभाग (मुख्यालय) स्तर से किया जा सकेगा।
- कम्पनी/वितरक/डीलर के द्वारा विभागीय परिपत्र सं०-३०२०, दिनांक-०८.०६.२०१७ के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कम्पनी के द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ ही COP निर्धारित तिथि के मानक के अनुरूप मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- यदि कम्पनी के द्वारा समर्पित अभिलेखों/कागजातों एवं प्रस्तुत सूचना के गलत पाये जाने की पुष्टि होती है तो किसी भी समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके प्राधिकार पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कम्पनी को काली सूची में डालते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा SLD विनिर्माता कम्पनी से MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा एवं विभिन्न मॉडलों (वैरियन्ट्स) और उत्पादन की मान्य सदृश्यता (COP) की अद्यतन मान्य अवधि की जाँच तथा कम्पनी के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं उनके कार्य स्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक माह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित पत्र संख्या-F.15/2016/CoRS दिनांक-११.०४.२०१७ के आलोक में SLD युक्त वाहन को जारी किये गये फिटनेस प्रमाण पत्र की पंजी एजेंसीवार/माहवार जिसमें गति नियंत्रक के प्रकार यथा फ्यूल कंट्रोल, एक्सीलेरेटर केवल कंट्रोल आदि संधारित करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. विनिर्माता कम्पनी को उपरोक्त के अलावे अन्य SLD मॉडल/वैरियन्ट हेतु अलग से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/-

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक-06/स्पीड गवर्नर-05/2018

2275

पटना, दिनांक.....21/11/18

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/03/18

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

पत्रांक-०६/स्पीड गवर्नर-०५/२०१८

पटना, दिनांक-

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं०-२९० (अ) दिनांक-१५.०४.२०१५, अधिसूचना सं०-४२४ (अ) दिनांक-०१.०५.२०१७ द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं AIS-०१८/२००१, AIS-०३७/२००४, AIS-००४/१९९९ भाग (३) के अनुरूप प्रकाशित गजट तथा विभागीय परिपत्र सं०-३०२०, दिनांक-०८.०६.२०१७ के आलोक में कंडिका-१ से ९ तक में वर्णित शर्तों के अधीन गति नियंत्रक विनिर्माता कम्पनी Avantika Elcon Pvt. Ltd. के निम्नांकित SLD मॉडल/वैरियन्ट को परिवहन यानों में लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	SLD मॉडल/टाईप	टी०ए०सी० नं०/दिनांक	COP वैधता	कुल वैरियन्ट की संख्या
१.	AELCON-SG01A (Fuel Controlled Type)	CH 5204/03.08.2017	30.09.2019	६०

- विनिर्माता कम्पनी द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली १९८९ के नियम १२६ द्वारा निर्धारित Type Approval Certificate एवं नियम ११८ के अनुरूप समय-समय पर यथा संशोधित नियमों का पालन किया जायेगा।
- यह अनुमति भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किए गए आदेश से प्रभावित हो सकेगी।
- विनिर्माता/वेन्डर द्वारा समर्पित किए गए वैरियन्ट/मॉडल के वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अन्तर का सुधार परिवहन विभाग (मुख्यालय) स्तर से किया जा सकेगा।
- कम्पनी/वितरक/डीलर के द्वारा विभागीय परिपत्र सं०-३०२०, दिनांक-०८.०६.२०१७ के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कम्पनी के द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ ही COP निर्धारित तिथि के मानक के अनुरूप मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- यदि कम्पनी के द्वारा समर्पित अभिलेखों/कागजातों एवं प्रस्तुत सूचना के गलत पाये जाने की पुष्टि होती है तो किसी भी समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके प्राधिकार पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कम्पनी को काली सूची में डालते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा SLD विनिर्माता कम्पनी से MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा एवं विभिन्न मॉडलों (वैरियन्ट्स) और उत्पादन की मान्य सदृश्यता (COP) की अद्यतन मान्य अवधि की जाँच तथा कम्पनी के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं उनके कार्य स्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक माह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित पत्र संख्या-F.15/2016/CoRS दिनांक-११.०४.२०१७ के आलोक में SLD युक्त वाहन को जारी किये गये फिटनेस प्रमाण पत्र की पंजी एजेंसीवार/माहवार जिसमें गति नियंत्रक के प्रकार यथा फ्यूल कंट्रोल, एक्सीलेरेटर केवल कंट्रोल आदि संघारित करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. विनिर्माता कम्पनी को उपरोक्त के अलावे अन्य SLD मॉडल/वैरियन्ट हेतु अलग से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/-

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक-06/स्पीड गवर्नर-05/2018

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक-06/स्पीड गवर्नर-05/2018

2275

पटना, दिनांक.....2/4/18

प्रतिलिपि- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विनिर्माता कम्पनी को ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करा लेंगे तथा विनिर्माता कंपनी के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं कार्यस्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यवसायिक वाहन के फिटनेश प्रमाण-पत्र का निर्गमन गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने के पश्चात् ही किया जाय।

28/02/18

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)

पत्रांक-06/स्पीड गवर्नर-05/2018

पटना, दिनांक-

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना सं०-290 (अ) दिनांक-15.04.2015, अधिसूचना सं०-424 (अ) दिनांक-01.05.2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं AIS-018/2001, AIS-037/2004, AIS-004/1999 भाग (3) के अनुरूप प्रकाशित गजट तथा विभागीय परिपत्र सं०-3020, दिनांक-08.06.2017 के आलोक में कंडिका-1 से 9 तक में वर्णित शर्तों के अधीन गति नियंत्रक विनिर्माता कम्पनी Avantika Elcon Pvt. Ltd. के निम्नांकित SLD मॉडल/वैरियन्ट को परिवहन यानों में लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	SLD मॉडल/टाईप	टी०ए०सी० नं०/दिनांक	COP वैधता	कुल वैरियन्ट की संख्या
1.	AELCON-SG01A (Fuel Controlled Type)	CH 5204/03.08.2017	30.09.2019	60

- विनिर्माता कम्पनी द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 126 द्वारा निर्धारित Type Approval Certificate एवं नियम 118 के अनुरूप समय-समय पर यथा संशोधित नियमों का पालन किया जायेगा।
- यह अनुमति भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किए गए आदेश से प्रभावित हो सकेगी।
- विनिर्माता/वेन्डर द्वारा समर्पित किए गए वैरियन्ट/मॉडल के वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अन्तर्गत का सुधार परिवहन विभाग (मुख्यालय) स्तर से किया जा सकेगा।
- कम्पनी/वितरक/डीलर के द्वारा विभागीय परिपत्र सं०-3020, दिनांक-08.06.2017 के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कम्पनी के द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा साथ ही COP निर्धारित तिथि के मानक के अनुरूप मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- यदि कम्पनी के द्वारा समर्पित अभिलेखों/कागजातों एवं प्रस्तुत सूचना के गलत पाये जाने की पुष्टि होती है तो किसी भी समय पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके प्राधिकार पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही कम्पनी को काली सूची में डालते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा SLD विनिर्माता कम्पनी से MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराया जाएगा एवं विभिन्न मॉडलों (वैरियन्ट्स) और उत्पादन की मान्य सदृश्यता (COP) की अद्यतन मान्य अवधि की जाँच तथा कम्पनी के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं उनके कार्य स्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारियों के द्वारा प्रत्येक माह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा से संबंधित पत्र संख्या-F.15/2016/CoRS दिनांक-11.04.2017 के आलोक में SLD युक्त वाहन को जारी किये गये फिटनेस प्रमाण पत्र की पंजी एजेंसीवार/माहवार जिसमें गति नियंत्रक के प्रकार यथा फ्यूल कंट्रोल, एक्सीलेरेटर केवल कंट्रोल आदि संधारित करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. विनिर्माता कम्पनी को उपरोक्त के अलावे अन्य SLD मॉडल/वैरियन्ट हेतु अलग से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/-

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक-06/स्पीड गवर्नर-05/2018

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक-06/स्पीड गवर्नर-05/2018

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन तंत्र के सभी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विनिर्माता कम्पनी को ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने के पूर्व MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण करा लेंगे तथा विनिर्माता कम्पनी के द्वारा अधिकृत विक्रेता एवं कार्यस्थल की पूर्ण पता सहित जानकारी प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यवसायिक वाहन के फिटनेश प्रमाण-पत्र का निर्गमन गति नियंत्रक उपकरण लगाये जाने के पश्चात् ही किया जाय।

ह0/-

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक-06/स्पीड गवर्नर-05/2018

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि- Avantika Elcon Pvt. Ltd., 201 Composite House, 170, Prajapat Nagar, Opp. : B-4, Gulmohar Park, New Delhi-110049, (India) को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आपके द्वारा अधिकृत/पंजीकृत विक्रेताओं की सूची संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं परिवहन विभाग (मुख्यालय) में समर्पित करना सुनिश्चित किया जायेगा। विनिर्माता कम्पनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि COP प्रमाण-पत्र की वैध अवधि संबंधी प्रमाण परिवहन विभाग (मुख्यालय) में ससमय जमा कर दिया जाय। अन्यथा उनके अनुमति आदेश को रद्द कर दिया जायेगा।

ह0/-

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक-06/स्पीड गवर्नर-05/2018

2275

पटना, दिनांक.....2/4/18

प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/18

(अनुपम कुमार)

राज्य परिवहन आयुक्त